11.01.2023	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उप.। अधिवक्ता उभयपक्ष की हस्तगत प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस करते हुए बताया कि सरहद मौजा समावली पटवार हल्का चिचड़ासर तहसील सेड़वा में प्रार्थी के पिता अब्दुला पुत्र रतना की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 340/162 रकबा 52.08 बीघा आया हुआ था जिसमें से प्रार्थी के पिता ने अब्दुला रकबा 26 बीघा का पंजीबद्ध बेचान अपने दुसरे पुत्र अहमद को कर दिया था, इस बेचान की चौसाला खतौनी में अंकन अवश्य हो गया परन्तु अटाट्रेस में पृथक चिहिन्त नहीं हुआ था। इस बेचान के पश्चात प्रार्थी के पिता अब्दुला का देहांत हो गया व उसके देहांत के कारण वारिसान का राजस्व रेकर्ड दर्ज किया तब तक लटा ट्रेस में खसरा संख्या 340/162 रकबा 52.08 बीघा की स्थिति यथावत बनी रही। अप. ीलाधीन आराजी का विभाजन करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पेश किया तथा साथ में 212 रा.का.अधि. का आवेदन पेश किया गया। अपीलाधीन आराजी पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.04. 2017 स्थगन आदेश पारित किया गया। मूल खेत खसरा संख्या 340/162 रकबा 52.08 बीघा मौजा समावली का वाद लम्बित रहने एवं माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश के बावजूद श्रीमान तहसीलदार सेड़वा एवं हल्का पटवारी श्री लक्ष्मणराम पटवार मंडल चिचड़ासर तहसील सेड़वा ने विभाजन का वाद लम्बित रहने एवं माननीय न्यायालय के आदेश मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति के आदेश के बावजूद वादग्रस्त खसरा संख्या 340/162 रकबा 52.08 बीघा में बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के लटाट्रेस में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन कर दिया। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर विप्रार्थीगण के विरूद्ध दण्डात्मक आदेश पारित कर सिविल कारावास की सजा सुनाई जाये एवं राजस्व रेकर्ड की पूर्व स्थिति कायम किये जाने के आदेश फरमाया जावे। राजकीय अभिभाषक ने विप्रार्थी संख्या 01 की तरफ से बहस करते हुए निवेदन किया कि हस्तगत आवेदन अवमानना की कार्यवाही हेतु पेश किया गया। अवमानना की कार्यवाही पद के विरूद्ध नहीं होती, व्यक्ति के विरूद्ध होती है। व्यक्ति का नाम नहीं बताया गया। अतः अवमानना का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे। विप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश से पूर्व ही अपीलाधीन आराजी का खाता लटाट्रेस अलग था। पटवार हल्का चिचड़ासर के पद का कार्यभार ग्रहण किया उससे पूर्व ही राजस्व

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

स्थिति में बदलाव हो चुका था। मेरे द्वारा पटवार हल्का में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात अपीलाधीन आराजी में किसी प्रकार का राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव नहीं किया गया। मैं राजकीय कर्मचारी हूँ जिसे जानबूझकर परेशान करने के लिए पक्षकार संयोजित किया गया। अतः अवमानना प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की अवमानना प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवमानना प्रार्थना–पत्र में जो तथ्य अंकित किये है उनकी दस्तावेजी साक्ष्य से पुष्टि नहीं की गई। मात्र हाजा न्यायालय के आदेश दिनांक 12.04.2017 की प्रति पेश कर देने से हाजा न्यायालय के आदेशों की अवमानना किया जाना प्रमाणित नहीं होता है। हाजा न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.04.2017 से पूर्व अपीलाधीन आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में नक्शे की स्थिति क्या थी और उसके बाद में क्या स्थिति में परिवर्तन किया गया इस बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अवमानना की कार्यवाही किसी पद के विरूद्ध नहीं की जा सकती जबकि हस्तगत आवेदन में तहसीलदार सेड़वा को पक्षकार बनाया गया जो विधि सम्मत नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक तथा साक्ष्य के अभाव में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना–पत्र सिद्ध नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर